

परिशिष्ट 'क'

काउंसलिंग में वरियता कम

1. दिव्यागंजन
2. विधवा
3. परित्यक्ता
4. एकल महिला
5. भूतपूर्व सैनिक
6. उत्कृष्ट खिलाड़ी
7. पति-पत्नी प्रकरण
8. शहीद परिवार का आश्रित हो
9. अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी अस्थाध्य रोग से ग्रस्त हो
10. अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले/जिले में स्थान में रहना आवश्यक हो
11. शेष अभ्यर्थियों को मेरिट कम में

परिशिष्ट-'आ'

1	सैकण्डरी	
2	सीनियर सैकण्डरी	
3	स्नातक	
4	अधिस्नातक	
5	अन्य योग्यता	
6	कम्प्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र	
7	जाति प्रमाण पत्र	
8	अन्तिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
9	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का न हो) शिक्षण स्थान के अधिकारियों के मान्य नहीं	
10	धूमपान न करने संबंधी शपथ पत्र (साधारण कागज पर)	
11	विवाह शपथ पत्र (प्रमाण पत्र हो तो सत्यापित प्रति) – परिशिष्ट-ब	
12	01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र परिशिष्ट-स	
13	दहेज न लेने का शपथ पत्र – परिशिष्ट-द	
14	पत्र व्यवहार का पता	
15	मूल निवास प्रमाण पत्र	
16	पते का प्रमाण पत्र, यथा—बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल, आधार कार्ड, वाहन लाइसेंस	
17	अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए)	

परिशिष्ट-ब'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(विवाह शपथ—पत्र)

प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी शपथपूर्वक बयान
करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
.... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक
..... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी के साथ दिनांक
..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमती
....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक
को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर
शपथकर्ता

परिशिष्ट-स'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

(संतान शपथ-पत्र)
घोषणा पत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैंपुत्र/पुत्री श्री रोल नं. है,
लिपिक ग्रेड-ग, भर्ती परीक्षा, 2018 में लिपिक ग्रेड-ग के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.5.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या थी।

क्र.सं. नाम जन्म तिथि

2. दिनांक 01 जून, 2006 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 1 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या है।

क्र.सं. नाम जन्म तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद : लिपिक ग्रेड-ग

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
विवाहित अम्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि राजस्थान
 कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-गा, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 में लिपिक
 ग्रेड-गा के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक का हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो
 दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्ती
 एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो
 मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता यथा संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक
 (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी
 जिम्मेदार रहूँगा।

(नाम-.....)
घोषण-कर्ता

स्थान :-.....

दिनांक :-.....

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....

2. हस्ताक्षर 2. हस्ताक्षर

नाम नाम.....

पता पता.....

परिशिष्ट-'द'

रु.10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें
अविवाहित अम्बर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री.....
निवासी

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मुझे
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-गा, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018
में लिपिक ग्रेड-गा के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले
ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी
नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी
जिम्मेदार रहूँगा।

(नाम—.....)
घोषणा-कर्ता

स्थान :—.....

दिनांक :—.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर

नाम नाम

पता पता